जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 146/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2016 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. आपका पत्रांक 1416 दिनांक 06.06.2016 जिस दिवस संचार माध्यम को प्रार्थी के घर पर देने हेतु सुपुर्द किया उस दिवस की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. जिस संचार माध्यम से उक्त पत्र भेजा गया उस संचार माध्यम का नाम व पता।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
4. लोक सेवा गांरटी अधिनियम में पत्र के प्रेषण पंजिका में दर्ज होने पश्चात संचार माध्यम को भेजने हेतु जो दिवस स्वीकृत किये गये है उसकी सूचना नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1756 दिनांक 06.10.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र में यह कहीं भी उल्लेख नही किया गया है कि पत्र सं0 1416 दिनांक 06.06.2016 किस शाखा/विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसलिये अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र सं0 817 दिनांक 14.07.16 के द्वारा उक्त पत्र दिनांक 06.06.16 की चित्र प्रति प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा पत्र की प्रति आज दिनांक तक प्रस्तुत नही करने के कारण सूचना देने में कठिनाई है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 817 दिनांक 14.07.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार लिखा गया हैः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा 04/05.07.2016 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र में उल्लेखित पत्र कंमाक 1416 दिनांक 06.06.2016 के सम्बन्ध में सूचना चाही है। आप द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ न तो उक्त पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है और न ही जारी करने वाली शाखा का विवरण प्रस्तुत किया है। अतः आप उक्त पत्र की छाया प्रति भिजवायें ताकि आपको वाछित सूचनाए उपलब्ध कराई जा सके।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

A3/2

146/2016

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओ के संबंध में **रजि0 पत्र दिनांक 14.07.2016** को उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के प्रतिवेदन 06.10.16 के अनुसार वांछित पत्र सं0 1416 दिनांक 06.06.16 के बारे में न तो चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाई है और न ही पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अब कोई दि़लचस्पी नही है। इसलिये अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

688-89
30-3-17

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर